



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 255 राँची, शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर, 2023

जापांक -05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)-328/2023-3217--

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन की स्वीकृतिप्रदान की गई है:-

- (क) महिला सशक्तिकरण।
- (ख) बालिका शिक्षा पर जोर।
- (ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता ।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।

2. योजनान्तर्गत आच्छादान को व्यापक करने को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-2033, दिनांक- 05.09.2022 की कंडिका-2.3 में वर्णित पात्रता के बिन्दु 2.3 (i.) (a) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
1. (a) यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी ।	यह सहायता माता की सभी पुत्रियों को देय होगी ।

3. संकल्प संख्या-2033, दिनांक-05.09.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा एवं संकल्प संख्या-344, दिनांक- 13.02.2023 के प्रावधान यथावत् रहेंगे। द्वितीय संशोधित मार्ग-निर्देशिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-15.12.2023 की बैठक में मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव ।
